11.02.2024

छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2024 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 12 फरवरी, 2024 (माघ 23,1945)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ गौसेवा आयोग अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2023–2024 तथा कृत कार्यवाही की रिपोर्ट पटल पर रखेंगे।

(2) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का इक्कीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–2023 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (तकनीकी शिक्षा), छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 (क्रमांक 25 सन् 2004) की धारा 34 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री बृजमोहन अग्रवाल, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रमांक 13 सन् 2005) की धारा 42 के अधीन अधिसूचित छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) नियम, 2005 के नियम 22 एवं नियम 23 के उपनियम (घ) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा सम्परीक्षा प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022–23 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री दयालदास बघेल, खाद्य मंत्री, वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 (क्रमांक 58 सन् 1962) की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वित्तीय वर्ष 2020–21 पटल पर रखेंगे।

(6) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2022–23 पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(7) श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021–22 (01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022) पटल पर रखेंगे।

(8) श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (क्रमांक 41 सन् 2021) की धारा 45 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार राज्य बांध सुरक्षा संगठन द्वारा प्रस्तुत बांध सुरक्षा वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2022–23 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) श्री राजेश मूणत, सदस्य, नवा रायपुर स्मार्ट सिटी तथा रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में अपात्र कंपनियों को कार्य आवंटित किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, नारायणपुर जिले में एक आदिवासी किसान द्वारा बैंक से लिये गये कर्ज को अदा नहीं कर पाने के कारण आत्महत्या किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–डूटामारदी में खोल नाले पर पुलिया निर्माण करने,

(2) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, डोंगरगांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत
   (i) ग्राम–करेठी से भटगुना के मध्य नदी पर पुलिया निर्माण करने,
   (ii) ग्राम–खम्हेरा में प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन करने,
   (iii) ग्राम–आलीवारा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(3) श्रीमती रायमुनी भगत, सदस्य, जिला जशपुर अंतर्गत
   (i) ग्राम–लोदाम में महाविद्यालय खोलने,
   (ii) जिला चिकित्सालय जशपुर में सीटी स्केन ऑपरेटर एवं रेडियोलॉजी विशेषज्ञ डॉक्टर पदस्थ करने तथा

(4) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य, डोंगरगढ़ से राजनांदगांव व्हाया ग्राम ढारा, टोलागांव, बढ़ईटोला मार्ग का नवीनीकरण करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

5. वित्तीय वर्ष 2024–2025 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 11 फरवरी, 2024